E. mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड भोपाल

कमांक/मंडी कार्मिक/अ–1/743/1418 भोपाल, दिनांक 27/01/2025

// आदेश //

अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 02.12.2024 को कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर जिला ग्वालियर के निरीक्षण के दौरान श्री कदम सिंह, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर जिला ग्वालियर के पदस्थी अवधि में कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर की आय में वर्ष 2022–23 की तुलना में 2023–24 में एवं वर्ष 2023–24 की तुलना में 2024–25 में भारी कमी हुई है, साथ ही माह अक्टूबर 2024 में 51 प्रतिशत की एवं नवम्बर 2024 में 27 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है, मूल मण्डी प्रांगण में सी.सी. टी.व्ही. कैमरा स्थापित नहीं होना, सब्जी मण्डी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा अतिकमण किया जाना, लेखा सत्यापन अधिक संख्या में लंबित होना, इस प्रकार नियंत्रणकर्ता अधिकारी होने के नाते कार्य के प्रति गंभीर नहीं होने एवं लापरवाही बरतने के फलस्परूप मध्यप्रदेश राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम, 1998 के विनियम 35(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री कदम सिंह, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर जिला ग्वालियर का मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर रहेगा। निलंबन अवधि में सेवा विनियम, 1998 के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी जिसका भुगतान कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर जिला ग्वालियर से प्रति माह 05 तारीख तक संयुक्त संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर के प्रमाणीकरण के आधार पर देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कुमार पुरूषोत्तम)
आयुक्त–सह–प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कमांक/मंडी कार्मिक/अ–1/743/1419 भोपाल, दिनांक 27/01/2025

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– निज सचिव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।
2– अपर संचालक (वित्त)/संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।
3– संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि श्री कदम सिंह, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर जिला ग्वालियर के विरूद्ध 15 दिवस में आरोप पत्रादि का प्रारूप तैयार कर उपसंचालक (वि.जां.) मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।
4– उप संचालक (वि.जॉच शाखा) मंडी बोर्ड मुख्यालय नियत समयावधि मे आरोप पत्रादि जारी करें।
5– श्री आलोक वर्मा, सचिव–अ, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ग्वालियर को कृषि उपज मण्डी समिति, लश्कर जिला ग्वालियर में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत रिक्त सचिव पद का कार्य सौपा जाता है।
6– भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, लश्कर जिला ग्वालियर।
7– श्री कदम सिंह, मण्डी निरीक्षक (प्रभारी सचिव) कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर जिला ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
8– आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/वित्त/गोपनीय/विभागीय जॉच/शिकायत/नियमन/कम्प्यूटर शाखा/मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

आयुक्त–सह–प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

E:\2024\A-1\Dev Order\Order\ORDER Supsend.doc